क्या आप नहीं चाहते कि विकसित एयरपोर्ट बने, खत्म कर देंगे दोनों जनहित याचिका

सचिव रक्षा मंत्रालय से हलफनामा में जवाब मांगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच एयरपोर्ट के विकास में की जा रही लेटलतीफी को लेकर जमकर नाराज हुई। नाराज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत से यहां तक कह दिया कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम दोनों पीआईएल को खत्म कर देंगे। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र के रक्षा मंत्रालय के सचिव से और राज्य के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है। एयरपोर्ट के विकास को लेकर हवाई सेवा समिति के साथ ही अधिवक्ता संदीप दुबे द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की नाराजगी साफ नजर आई।

छत्तीसगढ़ और दिल्ली में आपकी सरकार

नाराज चीफ जस्टिस ने सीधे महाधिवक्ता से पूछा कि एजी साहब यह सब क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली में आपकी सरकार है। इसके बाद ये हाल है। चीफ जस्टिस की नाराजगी बढ़ते देख महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष फोटोग्राफ्स रखते हुए बताया कि एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का काम चल रहा है। फोटोग्राफ्स देखते ही चीफ जस्टिस और नाराज हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खुद ही देखिए, क्या दिख रहा है। एक गाड़ी खड़ी है और पीछे कुछ लोग। काम कहां चल रहा है। यह तो इसमें दिख ही नहीं रहा है।

शासन स्टेटस रिपोर्ट दे

राज्य शासन को निर्देशित किया गया है कि वह इस संबंध में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।